

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भीलवाड़ा के निम्न दो आवासीय योजनाओं में "नवीन पंजीकरण योजना-2020 हेतु दिनांक 01.09.2020 से 15.10.2020 तक प्राप्त पंजीकरण आवेदन पत्रों की वरीयता निर्धारण लॉटरी कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से कोटे अनुसार आयोजित की जायेगी। वरीयता निर्धारण लॉटरी कार्यक्रम का विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

कार्यक्रम	आवासीय योजना का नाम	लॉटरी कार्यक्रम मय दिनांक एवं समय				लॉटरी स्थल
		योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थायी सूची का प्रकाशन	आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	वरीयता निर्धारण लॉटरी	
वरीयता निर्धारण	पटेल नगर विस्तार, पार्ट-2, भीलवाड़ा	18.02.2021	22.02.2021 सायं 05:00 बजे तक	24.02.2021	26.02.2021 दोपहर 02:00 बजे से	कार्यालय आवासीय अभियंता, सी - 289-290, आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा
	शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा					

नोट :

- उक्त पंजीकरण योजना में प्राप्त आवेदनों में से प्रस्तावित आवासों के अनुपात में सफल आवेदकों का चयन करने हेतु वरीयता का निर्धारण कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से लॉटरी द्वारा मण्डल नियमानुसार की जावेगी।
- अस्थाई सूचि में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया है के आक्षेपों की पूर्ति हेतु वांछित वैद्य दस्तावेज दिनांक 22.02.2021 सायं 05:00 बजे से पूर्व ई-मेल आई.डी. rebhilwara2020@gmail.com अथवा व्यक्तिशः खण्ड-भीलवाड़ा में उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- यदि कोई आवेदक वांछितानुसार सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
- इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
- अस्थाई सूचि व स्थाई सूचि एवं वरीयता लॉटरी की सूचि राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट <http://urban.rajasthan.gov.in/rhb> पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपलब्ध रहेगी।
- लॉटरी में अध्यक्ष, जिला आवंटन समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।